न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 27/2013

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2013/00021

प्रार्थीगण

1 भूपाराम पुत्र धनाजी
2 भागीरथ पुत्र धनाराम
3 रूपाराम पुत्र धनाराम
4 आसुराम पुत्र धनाराम
5 बलवंताराम पुत्र धनाराम

जातियान–विश्नोई, निवासीगण–जम्भेश्वरपुरा बिछावाड़ी, तहसील व जिला–सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हरलाल पुत्र नैना कौम–बिश्नोई(फौत)
2 जोधा पुत्र नैना
3 केहराराम पुत्र हरलाल
4 रामूराम पुत्र हरलाल
5 किशनाराम पुत्र हरचन्द उर्फ हरलाल, कौम–बिश्नोई
6 सोनी देवी धर्मपत्नी हरचन्द्र उर्फ हरलाल
7 सुमिता देवी पत्नी किशनाराम
8 सुरेश पुत्र किशनलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली सुमिता देवी पत्नी किशनाराम

निवासीगण–जम्भेश्वरपुरा, बिछावाड़ी तहसील व जिला–सांचौर (राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए'राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 27.08.2013

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.11.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के ग्राम जम्भेश्वरपुरा में खातेदारी के खेत खसरा संख्या 2109/891 रकबा 3.77 हैक्टेयर का है जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी है उक्त खातेदारी के खेत व रहवासीय ढाणी में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है उसके अभाव में प्रार्थीगण खातेदारी खेत का सही उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते जिससे प्रतिवर्ष लाखों रूपयों का नुकसान होता है तथा रास्ते के अभाव में उक्त खेत की खड़ाई के लिए संसाधानों का आवागमन नहीं होता है इसलिए प्रार्थीगण के खातेदारी खेत व राजकीय मार्ग के बीच आया हुआ खेत खसरा संख्या 893 जिसके खातेदार हरलाल वगैरह है, में से नजरी नक्शे माफिक रास्ता प्राप्त करने के लिए 14 फीट चौड़ाई का रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो राजकीय मार्ग से प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता है इसके अलावा कोई आवागमन का रास्ता नहीं है अतः अप्रार्थीगण खातेदारों के खेत खसरा संख्या में से नजरी नक्शे माफिक 14 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने की मांग करते है उस रास्ते के अभाव में हम खातेदार हमारी खातेदारी में कैद होकर रह गये है तथा हमारी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 2109/891 तथा अन्य आगे भाईयों के खेत भी रास्ते के अभाव में उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

व उपभोग से वंचित रहे है। अतः हमारी खातेदारी में आने जाने के लिए राजकीय मार्ग से हमारी खातेदारी खेत खसरा संख्या 2109/891 तक खसरा संख्या 893 में से होकर नजरी नक्शे माफिक 14 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण उपस्थित आये व जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बावजूद इसके जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.07.2024 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो [illegible] से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी [illegible] है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक न[illegible] मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो [illegible]त रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 2109/891 में पहुंचने हेतु कोई रेकडर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.07.2024 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 893 रकबा 3.65 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 2109/891 में न चाहकर खसरा संख्या 894 की माठ तक रास्ता करवाना चाहते है जिस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ है उसमें विधिवत् रास्ते हेतु भूमि छोड़ी गई है। प्रस्तावित भूमि को सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की लंबाई 55 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर के हिसाब से कुल 220 वर्गमीटर अर्थात् 0.0220 हैक्टेयर भूमि बनती है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है एव ना ही कोई इमारती पेड़ पर है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि मौजा जम्भेश्वरपुरा, पटवार हल्का–बिछावाड़ी के खसरा संख्या 893 रकबा 3.65 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 894 की माठ तक भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना द्वारा प्रस्तावित 55 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौड़े कुल 220 वर्गमीटर अर्थात् रकबा 0.0220 हैक्टेयर भाग की खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना [illegible] जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम जम्भेश्वरपुरा के खसरा संख्या 893 रकबा [illegible] हैक्टेयर में से खसरा संख्या 894 की माठ तक 55 मीटर लंबाई [illegible] 04 मीटर [illegible] कुल 220 वर्गमीटर अर्थात् रकबा 0.0220 हैक्टेयर भूमि खातेदारों की अभिधृति निव[illegible] करते हुए इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1) (ii) (क) के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 893 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार/वारिशान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner